प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–11.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **62 वाहनों से मु0–12000 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 21 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 10. 04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–05 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 90 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सोनू पुत्र स्व0 अमरनाथ निवासी नबाबगंज थाना टिकेत जनपद बाराबंकी के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–107/19 , धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. किशोरी लाल पुत्र जगेश्वर निवासी मरहमपुर थाना नबाबगंज, 02. गब्बर पुत्र गोपी निवासी जयंतपुर माझा थाना नबाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **40 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–96/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मोहन सोनकर पुत्र राजाराम निवासी रमई जोत थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–159/19 , 02. मदनू पुत्र हीरालाल निवासी अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–160/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल–08 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

सराहनीय कार्य
दिनांक 11.04.2019
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

असलहा बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, 01 अदद निर्मित, 05 अर्धनिर्मित असलहा व कारतूस सहित भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. दीपक उर्फ सिक्का पुत्र राम कहार निवासी टेढी बाजार थाना को0 नगर जनपद बलरामपुर

बरामदगी विवरण–

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर
02. 05 अदद तमंचा अर्द्ध निर्मित।
03. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
04. 01 अदद लोहे की ब्लेडयुक्त मय अतिरिक्त ब्लेड के।
05. 01 अदद रेती छोटी बडी।
06. 01 सुम्मी व 02 छैनी लोहे की।
07. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 12 बोर।
08. 09 अदद नाल लोहा अलग–अलग लम्बाई की।
09. 01 अदद धौकनी।
10. शस्त्र बनाने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 108/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद मे अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व स्वाट टीम को सख्त निर्देश दिये थे। **जिसके क्रम में थाना नवाबगंज व स्वाट की संयुक्त टीम को बढी सफलता प्राप्त हुई।**

आज दिनांक 11.04.2019 को प्रभारी स्वाट मनोज कुमार सिंह को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण मे संलिप्त **दीपक उर्फ सिक्का पुत्र राम कहार निवासी टेढी बाजार थाना को0 नगर जनपद बलरामपुर** भारी मा्त्रा में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य थाना नवाबगंज क्षेत्र के बृहद ग्राम दुर्गागंज मांझा में कर रहा है। इस सूचना पर स्वाट व थाना नवाबगंज की संयुक्त टीम द्वारा बृहद ग्राम दुर्गागंज मांझा में दबिश देकर उक्त अभियुक्त को **गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये।**

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 108/19 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी स्वाट टीम मनोज कुमार सिंह।
02. उ0नि0 विपिन कुमार सिंह चौकी प्रभारी कस्बा नवाबगंज।
03. उ0नि0 राजकुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस।
04. का0 कलेन्द्र यादव थाना नवाबगंज।
05. हेड का0 श्री नाथ शुक्ला।
06. का0 मुलायम यादव।
07. का0 सतवंत शर्मा।
08. का0 आदित्य पाल।
09. का0 अजीत यादव।

9 माह से फरार, 15,000/— का इनामिया, जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त —

01. मोहित सिंह पुत्र स्वः रामशंकर सिंह निवासी हवौनी निवासी थाना परसपुर जनपद गोण्डा वर्तमान पता बदवा सालपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा आर.पी. सिंह द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना को0 नगर को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना को0 नगर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को टामसन गेट के बगल से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभि0 मु0अ0सं0 474/18 धारा 147.148.149.323.504.506.307 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा में पिछले 9 माह से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 15,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी टीमः—

01. उ0नि0 नीरज सिंह।
02. उ0नि0 अमर सिंह।
03. का0 सत्येन्द्र यादव।